



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052026-272710
CG-DL-E-19052026-272710

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2397]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2026/वैशाख 24, 1948

No. 2397]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2026/VAISAKHA 24, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2026

का.आ. 2489(अ).— केन्द्रीय सरकार उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 34 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त संहिता के प्रयोजनार्थ, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के रूप में नियुक्त करती है;

सारणी

क्रम संख्या	कार्यालय	अधिकारिता (क्षेत्र)
(1)	(2)	(3)
1.	मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और अपर मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)	संपूर्ण भारत (सिवाय खान)

[फा. सं. एस-65025/6/2026-आईएसएच-II]

आलोक चंद्र, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2026

S.O. 2489(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 34 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (2) of the Table below to be the Chief Inspector Cum Facilitator for the purpose of the said Code within the local limits of the jurisdiction specified in column (3) of the Table below:-

TABLE

Sl. No.	Office	Jurisdiction (Area)
(1)	(2)	(3)
1.	Chief Labour Commissioner (Central), and Additional Chief Labour Commissioner (Central)	The whole of India (except mines).

[F. No. S-65025/6/2026-ISH-II]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Advisor